हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2020

संख्या वि०स0-विधायन-विधेयक / 1 / 18 / 2020. — हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम—140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / — सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 2 का संशोधन।
- 3. धारा 10 का संशोधन।
- 4. धारा 16 का संशोधन।
- 5. धारा 29 का संशोधन।
- धारा ३० का संशोधन।
- 7. धारा 31 का संशोधन।
- धारा 51 का संशोधन।
 धारा 122 का संशोधन।
- 10. धारा 132 का संशोधन।
- 10. 9111 102 471 (111911)
- 11. धारा 140 का संशोधन।
- 12. नई धारा 168-क का अन्तःस्थापन।
- 13. धारा 172 का संशोधन।
- 14. अनुसूची २ का संशोधन।
- 15. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

2020 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।** भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्ध, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी तारीख, जो सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे, से प्रवृत्त होंगे।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (114) के उप खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—
 - "(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;
 - (घ) लद्दाख;"।
- 3. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, "माल" शब्द के पश्चात् "या सेवाओं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
- **4. धारा 16 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से संबन्धित बीजक'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 5. **धारा 29 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :——
 - ''(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने हेतु दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण को छोड़ने का आशय रहा हो;''।
- 6. **धारा 30 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके,—

- (क) यथास्थिति, अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनिधक की अविध के लिए; और
- (ख) आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए.

बढ़ाई जा सकेगी।"।

7. **धारा 31 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

- (क) ऐसी सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा; और
- (ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके सम्बन्ध में,——
 - (i) प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या
 - (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।"।
- 8. **धारा 51 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 51 में,—
 - (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--
 - ''(3) स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''; और
 - (ख) उपधारा (४) का लोप किया जाएगा।
- 9. **धारा 122 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :——
 - "(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii), या खण्ड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रान्त इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति संदत्त करने का दायी होगा।"।
 - 10. धारा 132 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,—
 - (क) ''जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है'' शब्दों के स्थान पर ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को कारित करेगा या किसी अपराध को कारित करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - ''(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;''; और
 - (ग) खण्ड (ङ) में, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग'' शब्दों और चिह्न का लोप किया जाएगा।
 - 11. धारा 140 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 140 में,——
 - (क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति से'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'', शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

- (ख) उपधारा (2) में, ''ऐसी विहित रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (ग) उपधारा (3) में, "इनपुटस के सम्बन्ध में" शब्दों के पश्चात्, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (घ) उपधारा (5) में, "विद्यमान विधि के अधीन'' शब्दों के पश्चात् "विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए समझे जाएंगे; और
- (ङ) उपधारा (६) में, "इनपुट के सम्बन्ध में" शब्दों के पश्चात्, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," शब्द और चिन्ह प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए जाएंगे और अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
- 12. नई धारा 168—क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :——
 - "168क. सरकार की विशेष परिस्थितियों में समय—सीमा बढ़ाने की शक्ति.——(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उन कृत्यों, जो अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती है, की बाबत विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय—सीमा को बढ़ा सकेगी।
 - (2) उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से अपूर्वतर की तारीख से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलत होगी।

स्पष्टीकरणः—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "अनिवार्य बाध्यता" से, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आगजनी, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा कारित कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के कार्यान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाला कोई मामला अभिप्रेत है।"।

- 13. धारा 172 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 172 की उप धारा (1) के परन्तुक में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
- 14. अनुसूची—2 का संशोधन.——मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची—2 के पैरा 4 में, ''चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो'' शब्द जहां—जहां आते हैं का प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा।
- 15. कितपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट.—(1) मूल अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर संख्याः ई. एक्स.एन. एफ. (10)—14/2017—लूज तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंग्रेजी पाठ में और हिन्दी पाठ में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र (ई—गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1/2017—राज्य कर (दर) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,——
 - (क) 01 जुलाई, 2017 से आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित), अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अन्तर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के सम्बन्ध में कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा; और

- (ख) 01 जुलाई से आरम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सिम्मिलित) अविध के दौरान (शीर्ष 8483 के अन्तर्गत आने वाले) घिनीं, पिहए और अन्य पुर्जों के सम्बन्ध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अन्तर्गत आने वाले) कृषि सम्बन्धी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के सम्बन्ध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।
- (2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यांतरिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। इसको अधिक प्रभावी, व्यवहार्य और उदार बनाने के लिए अधिनियम को माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह कहना संगत होगा कि केन्द्रीय सरकार ने परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के आशय से वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 12) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के विभिन्न उपबंधों के संशोधनों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है।

प्रस्तावित विधेयक, अन्य बातों के साथ—साथ स्वेच्छया अभिप्राप्त रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण; रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दाखिल करने की उपबंधित अविध बढ़ाने के लिए अधिकारिताप्राप्त कर प्राधिकरणों को सशक्त करने के लिए उपबंध करता है। विधेयक सरकार को सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों, जिनकी बाबत कर बीजक जारी किया जाएगा और उसको जारी करने का समय और उसकी रीति अधूिसचित करने के लिए भी सशक्त करता है। यह सरकार को प्ररूप और रीति, जिसमें स्त्रोत पर कर कटौती करने का प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा, का उपबन्ध करने हेतु नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त, बिना बीजक या बिल के आगत कर प्रत्यय का कपटपूर्ण उपभोग करने के अपराध को संज्ञेय और गैर—जमानती बनाया जाना भी प्रस्तवित किया गया है। विधेयक प्रथम जुलाई, 2017 से मत्स्य आहार के प्रदाय पर राज्य कर से भूतलक्षी छूट और कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयुक्त कुछ मदों के प्रदाय पर कम की गई दर पर राज्य कर का उद्ग्रहण भूतलक्षी रूप से करने का उपबन्ध भी करता है। इस प्रकार, पूर्वोक्त अधिनियम में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न संशोधन संभाव्यतः इसे हिताधिकारियों के लिए अधिक प्रभावी और अनुकूल बनाएंगे।

यह विधेयक उपुर्यक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

	(जयराम ठाकुर) मुख्य मन्त्री।
शिमला :	3
तारीख : 2020	

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 2.
- 3. Amendment of section 10.
- 4. Amendment of section 16.
- 5. Amendment of section 29.
- 6. Amendment of section 30.
- 7. Amendment of section 31.
- 8. Amendment of section 51.
- 9. Amendment of section 122.
- 10. Amendment of section 132.
- 11. Amendment of section 140.
- 12. Insertion of new section 168A.
- 13. Amendment of section 172.
- 14. Amendment of SCHEDULE-II.
- 15. Exemption from levy or collection of State tax in certain cases with retrospective effect.

Bill No. 9 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first year of the Republic of India as follows :—

- **1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.
- (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act, shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- **2.** Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (114), for subclauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

- "(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
- (d) Ladakh;".
- 3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.
- **4. Amendment of section 16.**—In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be omitted.
- **5.** Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:".
- **6. Amendment of section 30.**—In section 30 of the principal Act, in sub-section (*I*), in the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons be recorded in writing, be extended,—
 - (a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days; and
 - (b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).".
- **7. Amendment of section 31.**—In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—
 - (a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed; and
 - (b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which,—
 - (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
 - (ii) tax invoice may not be issued.".
 - **8. Amendment of section 51.**—In section 51 of the principal Act,—
 - (a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

- "(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."; and
- (b) sub-section (4) shall be omitted.
- **9. Amendment of section 122.**—In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(IA) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (I) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to pay a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."
 - **10.** Amendment of section 132.—In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—
 - (a) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words, "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences" shall be substituted;
 - (b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"; and
 - (c) in clause (e), the words and sign ", fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the words "existing law", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;
- (b) in sub-section (2), after the words "appointed day", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;
- (c) in sub-section (3), after the words "goods held in stock on the appointed day", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;
- (d) in sub-section (5), after the words "existing law", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017; and
- (e) in sub-section (6), after the words "goods held in stock on the appointed day", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017.
- **12. Insertion of new section 168A.**—After section 168 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

- **"168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.—**(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.
- (2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.".

- **13. Amendment of section 172.**—In section 172 of the principal Act, in sub-section (*1*), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.
- **14. Amendment of SCHEDULE-II.**—In SCHEDULE-II Annexed to the principal Act, in paragraph 4, the words and sign "whether or not for a consideration," wherever they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.
- **15.** Exemption from levy or collection of State tax in certain cases with retrospective effect.—(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Himachal Pradesh number 1/2017-STATE TAX (RATE) published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh in English Version *vide* No. EXN-F(10)-14/2017-Loose, on 30th June, 2017 and in Hindi Version on 28th December, 2017, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers conferred under section 9 of the principal Act,—
 - (a) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both inclusive); and
 - (b) State tax at the rate of six per cent shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).
- (2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017) was enacted with a view to make provisions for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government. In order to make it more effective, workable and affable, it is proposed to amend the Act as per the recommendations of the Goods and Services Tax

Council. It is pertinent to add that the Central Government has already carried out amendments in the various provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 *vide* the Finance Act, 2020 (Act No. 12 of 2020) in order to implement the recommendations of the Council.

The proposed Bill, *inter alia*, provides for cancellation of registration obtained voluntarily; to empower the jurisdictional tax authorities to extend the period provided to file an application for revocation of cancellation of registration. The Bill seeks to empower the Government to notify the categories of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued and the time and manner of its issuance. It also empowers the Government to make rules to provide for the form and manner in which a certificate of tax deduction at source shall be issued. Further, the offence of fraudulently availing of input tax credit without invoice or bill is being made cognizable and non-bailable. The Bill also seeks to provide retrospective exemption from State tax on supply of fishmeal and also the levy of State Tax at the reduced rate retrospectively on the supply on some items used as parts of agricultural machinery with effect from 1st July, 2017. Thus, the various amendments proposed to be carried out in the Act *ibid*. are likely to make it more effective and friendly to the stakeholders.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

	(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.
SHIMLA:	
The, 2020	